संख्या-143/2026/I/1448979/2026-68-5005(002)/139/2026

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषयः **मा0 कामर्शियल कोर्ट लखनऊ में योजित निष्पादन वाद संख्या-989/2022 मेसर्स बिशन स्वरूप राम किशन एग्रो प्रा0लि0 बनाम बेसिक शिक्षा विभाग के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-शि0नि0(बे0)/विधि-2/22165-67/2026-27 दिनांक 04 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० आर्बिट्रेटर द्वारा प्रकरण में पारित एवार्ड दिनांक 11.09.2020 के क्रम में फर्म की जब्त की गयी धनराशि के साथ अन्य धनराशि रू0 20,42,74,883.00 पर मा० कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ में योजित निष्पादन वाद संख्या-989/2022 मे० बिशन स्वरूप राम किशन एग्रो प्रा०लि० बनाम बेसिक एजूकेशन डिपार्टमेंट में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2026 की विधिक बाध्यता के दृष्टिगत रू0 20,42,74,883.00 पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रू0 40,19,86,402.00 की धनराशि का बजट आवंटित करने तथा भुगतान की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04 जुलाई, 2026 में किये गये अनुरोध के क्रम में इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ में योजित निष्पादन वाद संख्या-989/2022 मे० बिशन स्वरूप राम किशन एग्रो प्रा०लि० बनाम बेसिक एजूकेशन डिपार्टमेंट में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2026 के अनुपालन हेतु **रू0 40,19,86,402.00 (रूपये चालीस करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ दो मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपभोग उसी कार्य / प्रयोजन हेतु किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
5. प्रश्नगत प्रकरण में देय धनराशि की गणना एवं गणितीय शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्पूर्ण रूप से आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 में अनुदान संख्या-71 के लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा- 800-अन्य व्यय-04-प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाना-42-अन्य व्यय" मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
पार्थ सारथी सेन शर्मा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज।
3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज/लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट /जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
10- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।